न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 134/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :—11.07.2024

GCMS ID—2024/210

1. रामलक्ष्मण आ0 मडीलाल जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 06/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 80 पुराना 58 खसरा संख्या 281, 282, 283, 284, 285, 290, 290/536, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299/521, 299/522, 299/535 कुल किता 16 कुल रकबा 4.7913 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 78 पुराना 56 खसरा संख्या 191, 273, 284, 275, 278, 296 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4811 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 77 पुराना 55 खसरा संख्या 193, 194, 204 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0684 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 200 पुराना 163 खसरा संख्या 276 रकबा 0.971 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.971 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 79 पुराना 57 खसरा संख्या 192 रकबा 0.0567 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0567 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता मडीलाल जी थे जिनके तीन पुत्र प्रार्थी रामलक्ष्मण व अप्रार्थी हीरालाल व परमेश्वर है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद जॉच किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 1051 दिनांक 28.12.2021 खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में रामलक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण का इन्द्राज कर दिया, उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज किया गया है, इसलिए उक्त इन्द्राज अवैध

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

व निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण दर्ज है लेकिन राजस्व रि़कॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी रामलक्ष्मण ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर लक्ष्मण के स्थान पर रामलक्ष्मण दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10.03.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम लक्ष्मण के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर रामलक्ष्मण दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रामलक्ष्मण दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम मांगली कला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना प के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया खाता संख्या नया 80 पुराना 58 खसरा संख्या 281, 282, 283, 284, 285, 290, 290/536, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299/521, 299/522, 299/535 कुल किता 16 कुल रकबा 4.7913 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 78 पुराना 56 खसरा संख्या 191, 273, 284, 275, 278, 296 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4811 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 77 पुराना 55 खसरा संख्या 193, 194, 204 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0684 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 200 पुराना 163 खसरा संख्या 276 रकबा 0.971 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.971 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 79 पुराना 57 खसरा संख्या 192 रकबा 0.0567 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0567 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लक्ष्मण के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रामलक्ष्मण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :– राजस्व/25/810 दिनांक :–21.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला के खाता संख्या 77, 78, 200, 79, 80 में दर्ज अपने नाम लक्ष्मण के स्थान पर रामलक्ष्मण दर्ज करवाना चाहता है, जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार लक्ष्मण आ0 मडीलाल व रामलक्ष्मण आ0 मडीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है जिनको लक्ष्मण आ0 मडीलाल के स्थान पर रामलक्ष्मण पुत्र मडीलाल शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार मुताबिक जॉच तहसीलदार हिण्डोली के आधार पर अपने जबाव में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण आ0 मडीलाल के स्थान पर रामलक्ष्मण पुत्र मडीलाल शुद्ध दर्ज किया जाना सही बातया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामलक्ष्मण पुत्र मडीलाल है, जिसको मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ई–श्रम कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण पुत्र मडीलाल अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण/ पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला के खाता संख्या 77, 78, 79, 80, 200 में दर्ज सहखातेदार के नाम लक्ष्मण आ0 मडीलाल के स्थान पर रामलक्ष्मण पुत्र मडीलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 06.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

06/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446